\

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

शस्त्र वाद सं0–107/2014

सरकार (मार्फत पुलिस अधीक्षक,सारण छपरा)

बनाम

युगल किशोर सिंह, पे0–स्व0 चन्द्रकेत सिंह, सा0–चरिहारा, थाना–मशरक, जिला–सारण

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
09.12.2014	यह अभिलेख जिला शस्त्र शाखा, सारण, छपरा के पत्रांक 514, दिनांक 01.09.2014 के द्वारा सुनवाई हेतु प्रेषित किया गया है। पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 3426/गो0, दिनांक 17.08.2014 के द्वारा आवेदक युगल किशोर सिंह, पे0–स्व चन्द्रकेत सिंह, सा0–चरिहारा थाना–मशरक, जिला–सारण से संबंधित कागजात जॉचोपरांत प्रेषित किया गया है। आवेदक की उपस्थिति में सुनवाई की गई। आवेदक के द्वारा बताया गया कि वे चन्द्रा ईट उधोग चरिहारा(मशरक) एवं मेसर्स युगल किशोर सिंह दोनो फर्म के प्रोपराइटर हैं। वे ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत ठेकेदारी का कार्य करते है। इधर कुछ महीनो से असमाजिक तत्वों के द्वारा उन्हे धमकी दी जा रही है। अपने जानमाल की सुरक्षा हेतु शस्त्र की अनुज्ञप्ति देने का अनुरोध किया गया। थानाध्यक्ष मशरक के ज्ञापांक 1760, दिनांक 30.07.2014 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक पर जानमाल का खतरा प्रतीत होता है। आवेदक के विरूद्व थाना अभिलेख में कोई शिकायत दर्ज नही है। इनका पक्का का तीन मंजीला मकान है। शस्त्र के रख रखाव हेतु इनके पास पर्याप्त जगह है। इन्हे शस्त्र की अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की जाती है। पुलिस प्रतिवेदन के परिसीलन से प्रतीत होता है कि आवेदक के जानमाल पर किस प्रकार के खतरे की आशंका है, एवं ऐसी आशंका क्यों है–इससे संबंधित स्पष्ट प्रतिवेदन प्रेषित नही किया गया है और न ही आवेदक के द्वारा सुनवाई के कम में कोई ठोस आधार ही प्रस्तुत किया गया है। जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, सारण, छपरा को निदेश है कि वे पुलिस अधीक्षक, सारण से पुनः स्पष्ट प्रतिवेदन की मॉग करे एवं वांछित प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् सुनवाई हेतु इस न्यायालय को अभिलेख प्रेषित किया जाए। लेखापित एवं सशोधित (हस्ताक्षर) जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा। (हस्ताक्षर) जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा। ज्ञापांक 1045 दिनांक 12/12/14	

प्रतिलिपि– S.P. सारण / जिला शस्त्र शाखा, सारण / DSO, NIC, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
प्रभारी जिला विधि शाखा, सारण
12/12/14